राजस्थान सरकार

कृषकों हेतु

कौशल विकास

परियोजना – 2017

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड़, जयपुर

कृषकों हेतु कौशल विकास

1. प्रस्तावना

कौशल और ज्ञान किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। अधिक कुशल मानव क्षमता के माध्यम से अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक, अभिनव और प्रतिस्पर्धी बनती हैं। रोजगार के स्तर, इसकी संरचना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सूचक है। बडी संख्या में कृषि श्रमिक गरीब हैं अर्थात वे काम कर रहें हैं, फिर भी अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने में अक्षम हैं। जिसका कारण उत्पादकता का निम्न स्तर और इस तरह के काम से अर्जित कम आय है। लोगों की आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हैं अर्थात जीवन निर्वाह के लिए उन्हें वो काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे वास्तव में गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है। कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि व उत्पादकता दोनों का सीधा संबंध हैं, जो कृषकों की कार्य कुशलता से जुडा हुआ है। कौशल विकास पर्याप्त कौशल के साथ गुणवत्ता युक्त रोजगार सृजन कृषकों को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान कर सकता है।

अतः यह परियोजना कौशल के साथ गुणवत्ता युक्त रोजगार के अवसर प्रदान कर श्रम शक्ति को सशक्त बनायेगी, जिससे कृषक एवं कृषक समाज आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनेगा।

2. कृषक समाज को कौशल विकास की आवश्यकता

- राज्य में उपलब्ध कृषक कार्यबल में कुशल व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के कृषक श्रमिक बल में से मात्र 5 प्रतिशत व्यक्ति ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं व धन अर्जित करने में सक्षम/सशक्त हैं।
- मौजूदा कृषक कार्यबल का शैक्षणिक स्तर बहुत ही कम है। कुल कृषक बेरोजगारों में व्यावसायिक कौशल रहित शिक्षित कृषक बेरोजगारों की अधिकतम हिस्सेदारी है। इसका एक प्रमुख कारण वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था का अकादमी शिक्षा की ओर बहुत अधिक झुकाव होना है।
- स्कूल स्तर में शिक्षा छोडने वालों कृषक परिवार के सदस्यों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है। राज्य में शुरूआती स्कूल छोडने वालों के लिए बहुत ही कम व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैं। अतः अब कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान केंन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- व्यवसायिक विशिष्ट प्रशिक्षण और रोजगार उद्देश्य आधारित सही कौशल (Fit-for-Purpose) प्रशिक्षण समय की मांग है।
- कृषि तकनिकीयों में त्वरित बदलाव आने के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से कृषकों का कौशल उन्नयन बहुत ही आवश्यक है। खेतिहर

अशिक्षित मजदूर वर्ग में प्रतिवर्ष नये बेरोजगार व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। इन्हें भी कृषि क्षेत्र की उन्नति हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इनके लिए राज्य में उपलब्ध कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

3. कृषि में कौशल विकास

- कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकी अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप कौशल विकास प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 25 वर्ष के कम आयु आबादी वाले राजस्थान राज्य की बदलती जनसांख्यिकीय रूपरेखा, जीवन निर्वाह हेतु उच्च आय की तलाश एवं बढती आकांक्षाओं ने कृषि में कौशल विकास प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई है। रोजगार प्राप्ति हेतु गुणवत्ता कौशल विकास प्रशिक्षण बेरोजगारी दूर करने में सहयोग प्रदान करेगा एवं कृषक समाज की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ायेगा।
- तकनीकि एवं उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त करना एक आजीवन प्रक्रिया है, इसलिए कौशल उन्नयन हेतु कौशल प्राप्त करना (रिस्किलिंग) मौलिक रूप से बेरोजगारी को कम करना व कृषक परिवारों को रोजगार प्रदान कर उनकी आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाना है।

4. राज्य में कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण ढांचा

- **विपणन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्र में कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षणों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य में लगभग 170 संस्थाऐं हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्वंयसेवी संगठन, आई.टी.आई., कृषि विज्ञान केन्द्र तथा निजी तकनीकी संस्थाऐं, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्र सरकारी कार्यरत विभिन्न रिसर्च संस्थान, राज्य सरकार/भारत सरकार के कार्यरत प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित हैं, जो कौशल विकास का विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

- **औद्योनिकी क्षेत्र**

  औद्योनिकी विभाग कृषकों को फलदार वृक्षारोपण का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- **कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों हेतु उन्नत कार्य**

  महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय द्वारा डूंगरपुर एवं उदयपुर में रतनजोत (Jetropha) की 2 तेल प्रसंस्करण इकाईया स्थापित की गई हैं व इसी प्रकार की अन्य परियोजनाएं स्थापित करने में प्रयत्नशील है।

- **डेयरी क्षेत्र**

  राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (RCDF) जिसका मुख्य ध्येय सामाजिक व आर्थिक दोनों दृष्टि से डेयरी उद्योगों की स्थापित करना हैं। इनके प्रशिक्षण संस्थानों में भी किसानों को प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध हैं।

5. कृषि विकास क्षेत्र

प्रगतिशील किसानों से विचार विमर्श कर कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के निम्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है:–

- उच्च कीमती फूलों की खेती
- कृषि प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग
- संरक्षित खेती
- पशुपालन प्रशिक्षण
- मधुमक्खी पालन व अन्य सहयोगी कार्य
- बीमा एवं जोखिम व्यवस्था
- सूचना संचार तकनीकी
- वेटेनरी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण
- दुग्ध प्रसंस्करण
- कृषि विस्तार में प्रशिक्षण
- कृषि प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग
- कृषि यंत्र एवं मशीनरी के उपयोग का प्रशिक्षण
- भू–संरक्षण प्रशिक्षण
- कृषि उत्पाद निर्यात प्रशिक्षण
- कृषि विपणन की नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण
- लघु अवधि के खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कुटीर स्तर पर फल सब्जी परिरक्षण
- महिलाओं में कौशल विकास एवं विपणन तकनीकी का प्रशिक्षण

6. खाद्य प्रसंस्करण विषय पर लघु अवधि के प्रशिक्षण निम्न संस्थानों पर भी आयोजित कराये जा सकते है:–

- केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
- धान प्रसंस्करण एवं फल सब्जी प्रशिक्षण केन्द्र लुधियाना, पंजाब
- केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, भोपाल
- फसलोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र (कृषि विश्वविद्यालय राज्य व राज्य से बाहर)
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम केन्द्र, जयपुर

7. कृषि प्रशिक्षण

कृषि संबंधित प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किये जावेगें।

1. राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भारत सरकार, बम्बाला जयपुर।
2. राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर।
3. केन्द्रीय खाद्यय प्रसंस्करण संस्थान अजमेर।
4. राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र ताबीजी, अजमेर।
5. CAZRI, जोधपुर।
6. केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान आविका नगर मालपुरा टोंक।
7. राज्य के कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, एवं कोटा।
8. राज्य को–ऑपरेटिव प्रबंधन संस्थान झालाना डूंगरी जयपुर।
9. रूडसेट संस्थान, जयपुर।
10. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जिला।
11. प्रतिष्ठित स्वंयसेवी संगठन।

उक्त प्रशिक्षण किसानों के द्वार एवं कृषकों को मनोनीत कर राज्य/राष्ट्र स्तरीय संस्थानों भेजकर या वहा से प्रशिक्षक बुलाकर आयोजित किये जावेगें।

प्रशिक्षण निम्न प्रकार/अवधि के आयोजित किये जायेगें:–

1. **जाग्रति कार्यक्रम (3 से 5 दिवसीय)**
   - i. मशीन/ उपकरणों का रखरखाव
   - ii. मृदा परीक्षण एवं उपचार
   - iii. पौध संरक्षण
   - iv. पशुपालन विस्तार
   - v. दुधारू पशुओं के प्राथमिक उपचार
   - vi. आधुनिक डेयरी प्रबंधन
   - vii. विभिन्न प्रकार के खाद्यय प्रसंस्करण
   - viii. वर्मी कम्पोस्ट/जैविक उत्पाद
2. **लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम** 15 से 30 दिवस के होगें लेकिन फूड प्रोसेंसिग 30 दिवस की अवधि से कम नहीं होगा।

8. कृषक परिवारो हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु कृषक/कृषक परिवार के सदस्य/कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों के द्वारा उनके आवश्यकतानुसार वांछित विशेष प्रशिक्षण यदि कोई प्राप्त

करने हों तो प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं। तद्नुसार प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

9. प्रशिक्षण कार्यक्रम व बजट का व्यय निर्धारण समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से पूर्व **परिशिष्ट–1** के अनुसार निश्चित करना होगा।

10. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड़ प्रशिक्षुओं को छोटी–छोटी प्रसंस्करण इकाई स्थापना तथा प्रसंस्कृत उत्पाद के विपणन एवं इच्छुक उद्यमियों को उनके उत्पाद के पेटेन्ट आदि कराने में भी सहयोग करेगा।

11. उपरोक्त प्रशिक्षणों का समय 6 घंटे प्रतिदिन विषयवार रहेगा जो **परिशिष्ट–1** के अनुसार कम से कम 10 से 30 दिवस का होगा।

12. योग्यता

1. उद्यमी की आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष।
2. उद्यमी कृषक परिवार का सदस्य हों।

शैक्षणिक योग्यताः– प्रशिक्षणों की शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण डिजायन करते समय प्रशिक्षण की आवश्कतानुसार निर्धारित की जावेगी। विशिष्ट परिस्थियों में चयन कमेटी की सिफारिश पर आयु व शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

13. प्रारंभिक चयनित जिलें

जयपुर	दौसा	झालावाड़
टोंक	भरतपुर	बून्दी
सीकर	करौली	भीलवाड़ा
अजमेर	कोटा	चित्तौड़गढ़
अलवर	बारां	डूंगरपुर
सिरोही	बाड़मेर	जैसलमेर

14. प्रार्थना–पत्र प्रेषण

समाचार पत्रों/विभागीय वेबसाइट में विज्ञापन जारी कर इच्छुक कृषकों/कृषक परिवारों से प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र आंमत्रित किये जायेगें। विज्ञापन में जारी निर्धारित प्रपत्र में सादा कागज पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी आयु प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र यदि वांछित हो, पासपोर्ट साईज के स्वंय के फोटोग्राफ संलग्न करेगा।

15. प्रायोजकः– राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कौशल विकास कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी होगा।

16. प्रशिक्षण की फोलोअप कार्यवाहीं :– प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षणार्थियों का 2 वर्ष तक फोलोअप होगा और प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षुकों को इकाई स्थापना हेतु सावधि ऋण

प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण देने वाला संस्थान किसी वाणिज्यिक/ग्रामीण बैंक से संबंद्ध/समन्वय करायेगा।

17. **बजट :–** इस परियोजना का व्यय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बजट मद किसान कल्याण कोष से व्यय किया जायेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय, द्वारा विधानसभा में बजट भाषण के द्वारा घोषित बजट प्रावधान रूपये 1.00 करोड़ प्रथम वर्ष में निर्धारित किया गया हैं।

18. **क्रियान्वयन अवधि :** यह योजना जारी आदेश की तिथि से लागू होगी एवं 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। तत्पश्चात योजना का पुनर्वालोकन किया जाएगा।

परिशिष्ट–1

प्रति प्रशिक्षु/प्रति प्रशिक्षण व्यय का आंकलन

प्रशिक्षुओं की संख्या :– अधिकतम 30 प्रशिक्षु प्रति बैच

क्र.सं.	शीर्षक	दर प्रति इकाई (रूपयों में)
1	मास्टर क्राफ्ट का भत्ता	750/– प्रतिदिन
2	कच्चा माल	1500/– प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम
3	बोर्डिग–लोजिंग/ओनेरेरियम	400/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी
4	प्रशिक्षण स्तर का किराया	400/– प्रतिदिन
5	अन्य व्यय	1000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी
6	स्टेशनरी	1000/– प्रति व्यक्ति
7	इकाई भ्रमण	1000/– प्रति प्रशिक्षु
8	कार्यक्रम उदघाटन/समापन पर होने वाले व्यय	10,000/– अधिकतम
9	टूलकिट	5000/– प्रति प्रशिक्षु अधिकतम
10	फोलोअप कार्यक्रम	1000/– प्रति प्रशिक्षु

प्रशिक्षण आयोजित करने पर किसी भी संस्थान को देय प्रशासनिक व्यय कुल प्रशिक्षण लागत का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में व्यय उपरोक्त मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा। उपरोक्त व्यय एक प्रकार से सूचक है, जो विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं यथा कृषि विज्ञान केन्द्र, रूडसेटी (RUDSETI) आदि संस्थाओं में दिए जा रहें प्रशिक्षणों के आधार पर अंकित हैं।